>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Compulsory Voting Bill, 2019.(Discussion not concluded)

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण, जो देश के हित में और इस देश के माध्यम से दुनिया को संदेश देने वाले हैं, एक विधेयक पर चर्चा करने की आपने अनुमति दी है ।

16.48 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

आपने मुझे अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है । यह सर्वविदित है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ।

जिसने देश की लोकतांत्रिक जरूरतों के अनुसार समय-समय पर अनेक चुनाव सुधार किए हैं, लेकिन अभी और भी बड़े सुधार चुनाव में किए जाने की आवश्यकता है । इन्हीं महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों में अनिवार्य मतदान भी एक है ।

महोदया, देश में पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था । उस चुनाव में वोट का प्रतिशत मात्र 45.67 प्रतिशत था । उसके आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 1957 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में वोट प्रतिशत 47.74 प्रतिशत हुआ । जब वर्ष 1962 में चुनाव हुआ, तो उस समय का वोट प्रतिशत 55.42 प्रतिशत था । वर्ष 1967 के चुनाव में वोट प्रतिशत कुछ बढ़ा और उस चुनाव में वोट प्रतिशत 61.33 प्रतिशत हुआ । उसके बाद वर्ष 1971, 1977, 1980, 1984, 1885, 1989, 1991, 1992, 1996,

1998 और 1999 में चुनाव हुए । वर्ष 2004 के चुनाव में वोट प्रतिशत 57.19 प्रतिशत हुआ । वर्ष 2009 के चुनाव में वोट प्रतिशत 58.19 प्रतिशत हुआ । उसके बाद वर्ष 2014 के चुनाव में वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा और उस समय वोट प्रतिशत 66.44 प्रतिशत हुआ । जब वर्ष 2019 का चुनाव हुआ, तो यह वोट प्रतिशत बढ़कर 67.6 प्रतिशत हुआ । इसका मतलब है कि आज भी इस देश के 33 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं । ऐसी सरकार जो देश के हित में काम कर रही है, जो सरकार देश के लिए काम कर रही है, उसके लिए भी 33 प्रतिशत मतदाता मतदान करने में अनुपस्थित रहे हों, हमें लगता है कि यह बहुत बड़ी चिंता की बात है । हमें आज वास्तव में इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

महोदया, यह वोट प्रतिशत कम से कम 90 प्रतिशत से ऊपर हो, इसके लिए हमें यह अनिवार्य मतदान विधेयक लाना पड़ा है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब वर्ष 2014 में आम चुनाव हुआ था, उस समय अपने देश की जनसंख्या 133 करोड़ 63 लाख 44 हजार 631 थी । उस समय कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 83 करोड़, 41 लाख 1,489 थी । इसमें से केवल 55 करोड़ 38 लाख, 1,801 मतदाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था । अगर आज हम इसे देखें तो आज हमारे देश में मतदाताओं की संख्या, जो रिकॉर्ड में हैं, लगभग 90 करोड़ हो गई है । आज भी उसमें से लगभग 67 प्रतिशत मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं । वास्तव में यह हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस पर सुधार की आवश्यकता है ।

महोदया, हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में होने वाला मतदान आज तक का सबसे ज्यादा मतदान है । जब से हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, सर्वाधिक मतदान वर्ष 2019 के चुनाव में हुआ है । अभी तक इससे पहले इतने मत का प्रयोग कभी नहीं हो पाया है । हम आज भी शत-प्रतिशत मतदान करने और अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर नहीं पहुँचते हैं । इस लोकतंत्र को और कैसे जीवंत बनाए और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें और सरकार को मिलकर प्रयास करना चाहिए । हमें मतदान का जो संवैधानिक अधिकार मिला है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं या हम उसका प्रयोग नहीं

करते हैं, इसलिए अनिवार्य मतदान को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

महोदया, हमारे देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात पुरजोर तरीके से की जाती है, जो कि किसी भी लोकतंत्र को जीवन्त और सफल बनाने के लिए अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण कारकों में से एक है । लेकिन, जब मौलिक और नागरिक कर्तव्यों के पालन की बात आती है तो एक नागरिक के रूप में कहीं न कहीं हम पिछड़ते हुए नजर आते हैं । यही कारण है कि हमारे देश में आज भी 33 प्रतिशत लोग सरकार चुनने की प्रक्रिया से अलग हैं और वे अपने को उसमें सहभागी नहीं बना पाते हैं । वे अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं । आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक लोक सभा का चुनाव सत्रह बार हो चुका है और इन सभी चुनावों में कमोबेश लगभग एक-सी ही स्थिति बनी हुई है । किसी चुनाव में 40 प्रतिशत लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते तो किसी चुनाव में 33 प्रतिशत लोग नहीं करते, यह चिंता की स्थिति हमारे लिए लगातार बनी हुई है । इसलिए वैसे मतदाताओं को जागरुक करने के लिए, ऐसे मतदाताओं में जागरुकता पैदा करने के लिए, इस अनिवार्य मतदान के माध्यम से वे अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, हम ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करें ।

महोदया, यह समावेशी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है और कहीं न कहीं इसका समावेशी विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । यही कारण है कि इस सम्मानित सदन में मतदान को अनिवार्य करने के लिए समय-समय पर पहले भी मांग उठती रही है । मैं यह कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस पर पहले भी चर्चा हुई है । मैं आज यह कहूंगा कि वर्ष 2019 में सैंकड़ों की तादाद में, जितनी हमारी यहां संख्या है, उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा नए सदस्य आए हैं । वे खुले मन से इस पर अपने भावों और अपने विचारों को रखें कि मतदान को अनिवार्य करने के लिए इस कानून पर हमें कैसे विचार करना चाहिए ।

महोदया, हम अपने लिए कुछ चीजें अनिवार्य मानते हैं, जैसे टैक्स देना, न्याय में सहयोग देना, शिक्षा प्राप्त करना, उसके प्रचार-प्रसार का पालन करना आदि ।

हम मानते हैं कि ऐसा हमें करना है और ऐसा हम तत्पर रूप से करते हैं । इसी प्रकार से, अपने मतदान के अवसर पर एक नागरिक के कर्तव्य का पालन हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं । निश्चित रूप से यह हमारे लिए चिंता का विषय है । लेकिन, हमें यह पता चलता है कि वर्षों से हम स्वप्रेरणा से कहीं न कहीं, कुछ परसेंटेज में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और इसलिए कभी-कभी हमें कानूनी प्रक्रिया, कानूनी रूप का भी संज्ञान लेना पड़ता है और हमें अनिवार्य करना पड़ता है । इसे करने के लिए बाध्य करना पड़ता है ।

महोदया, ऐसा कहा जाता है कि मतदान का अधिकार अन्य अधिकारों की तरह ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । मैं यह मानता हूं कि मतदान का अधिकार एक असमान अधिकार है । हम कह सकते हैं कि यह सभी अधिकारों की आधारशिला है, क्योंकि इसके माध्यम से हम सरकार चुनते हैं । हमें सरकार चुनने के लिए मतदान करना है । हम आगे कैसी व्यवस्था चाहते हैं, कैसा शासन चाहते हैं और शासन के माध्यम से कैसा देश चाहते हैं, देश में कैसा विकास और विकास की गति को चाहते हैं? इसलिए हमारे लिए जो अन्य व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसमें मतदान करना इसकी आधारशिला है । इसे हम नींव का पत्थर मान सकते हैं । अधिकार आपके हैं, यह तभी संभव है जब लोकतंत्र हो । सामन्तवाद, तानाशाही में शासन के द्वारा नागरिक अधिकारों की कोई मान्यता नहीं होती है ।

17.00 hrs

इसके विपरीत लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है । अच्छा लोकतंत्र वही है, जिसमें शत-प्रतिशत मतदान होता है, यानी सरकार बनाने में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है । यदि यह स्वेच्छा से हो, तो सर्वश्रेष्ठ है । यदि 80-90 प्रतिशत लोग वोट कर रहे हैं, तो भी चलेगा, लेकिन रजिस्टर्ड मतदाताओं में से केवल 50-60 प्रतिशत का मतदान हो, तो यह ठीक नहीं है । आज वर्ष 2019 में केवल 67 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा मतदान करना किसी भी तर्क से उचित नहीं है । हमें लगता है कि यह देश के हित में स्वीकार्य नहीं है ।

महोदया, मैं आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूं । गुजरात हमारे देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जहां स्थानीय निकाय के चुनाव में अनिवार्य मतदान संबंधी

कानून वहां की विधान सभा द्वारा वर्ष 2009 में पारित किया गया था । यह संयोग है कि आज हमारे जो नेता है, हमारे देश तथा दुनिया के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री है, उस समय वह वहां मुख्यमंत्री के रूप में थे । उनके नेतृत्व में सरकार द्वारा इसे वर्ष 2009 में पारित किया गया था । हालांकि तात्कालीन राज्यपाल ने इस व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए विधेयक को वापस लौटा दिया था । राज्यपाल का यह तर्क था कि ऐसा करना लोगों के ऊपर मतदान को थोपना होगा और जो संविधान के विरूद्ध होगा । जबकि तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस अनुशासन के जरिए लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए उठाया गया कदम बताया था । उनकी मान्यता है और यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति और राजनेता वोट बैंक की राजनीति से उठ कर सोच सकें । मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तौरतरीकों पर रोक लग सकें ।

महोदया, यह हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सोच थी, इसलिए वर्ष 2009 में उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में इस व्यवस्था को लाने का काम किया था । मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूं कि आज कालेधन का प्रयोग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लाने, उनको लुभाने, उनको जाति और धर्म के आधार पर बाँटने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है । मेरा यह मानना है कि यदि चुनाव में कालेधन के प्रयोग को रोकना है, तो हमें अनिवार्य मतदान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

महोदया, आज हम अपने ही देश में इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में लगभग दर्ज़नों, यानी 32-33 देशों में अनिवार्य मतदान संबंधी कानून बना हुआ है । मैं आपको कुछ देशों के बारे में बताना चाहता हूं, उसमें कुछ छोटे देश है और कुछ बड़े देश भी हैं, वहां यह कानून आज से नहीं, बल्कि पहले से ही बना हुआ है । आज वहां इस कानून का पालन हो रहा है । आज अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, चिली, साइप्रस, मिस्र, फिजी, फ्रांस, ग्रीस, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की इत्यादि

देशों में अनिवार्य मतदान हो रहा है और इसका कानून भी बना हुआ है । वहां अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है । जो इस अनिवार्य मतदान की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उन पर जुर्माना या सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है ।

महोदया, इसके साथ ही 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के लोगों को अनिवार्य मतदान करना होता है । 70 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को अनिवार्य मतदान से छूट दी गई है । जो मतदाता बीमार हो या 500 किलोमीटर से अधिक दूर रहने वाले हैं, उनको भी इससे छूट दी गई है । इस कानून को लागू करने के लिए अन्य उपाय भी किए गए है, जैसे मोबाइल मतदान केन्द्र । वहां पर मोबाइल मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की गई है । जो व्यक्ति किसी विशेष कारण से मतदान केन्द्र तक नहीं जा सकता है, मतदान केन्द्र ऐसे लोगों के पास जाता है । इससे मतदान के विषय में वहां की सरकार की भी गंभीरता का पता चलता है ।

जहां तक भारत में इस कानून को लागू करने की बात है, हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां आएंगी । मैं मानता हूं कि कुछ चुनौतियां आएंगी । हमारे देश में करोड़ों मतदाता आंतरिक पलायन के शिकार हैं । हम कई तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, आधार के माध्यम से जोड़ रहे हैं और ई-मेल के माध्यम से जोड़ रहे हैं । जो जहां भी हो, वहां से सीधे अगर मतदान करने की व्यवस्था करा दें, तो हमें लगता है कि उसमें दूरी का कोई विषय नहीं रहेगा । कौन कहां है, यह कोई मायने नहीं रह जाएगा । जो जहां भी है, उसको मतदान करने की वहां सुविधा हो जाएगी । हमें लगता है कि कानून बनाकर, दण्ड न देकर भी इसको पालन कराने में सफल हो सकेंगे ।

महोदया, शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं, वे दो कारणों से कभी-कभी मतदान केन्द्रों पर नहीं पहुंचते हैं । उनकी इसमें अनिच्छा हो जाती है । सरकार की ओर से उस दिन सार्वजनिक छुट्टी की व्यवस्था रहती है । सरकार की ओर से मतदान केन्द्रों पर कई तरह की सुविधाएं भी दी गई थीं । इस बार आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गए थे । ये आपके लोक सभा क्षेत्र में भी होंगे । आदर्श मतदान केन्द्र पर मतदाता के बैठने और पानी की व्यवस्था की गई । जो

वृद्ध मतदाता हैं या जो गर्भवती माताएं-बहनें मतदाता हैं, उनको गाड़ी से आने-जाने की व्यवस्था भी सरकार ने बनाई थी । चुनाव में यह बड़ा आमूल-चूल सुधार हम सबने देखा । इसके लिए चुनाव आयोग को हम अपनी तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि ऐसे मतदाताओं की आपने चिंता की है ।

इन तमाम सुविधाओं के बाद भी मतदान केन्द्र पर न जाना और दूसरे कामों को समय देना, इसे मैं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मानता हूं । जिस दिन मतदान होता है, उस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है । उस दिन दूसरे कामों में अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं और अपने मतदान केन्द्र पर कुछ लोग नहीं जाते हैं । मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है, लेकिन कुछ लोग उस दिन को दूसरे कामों में लगाते हैं । इसे दुरुपयोग कहिए, क्योंकि उस दिन सदुपयोग तो मतदान केन्द्र जाने पर होगा ।

चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है । जब पर्व आता है, तो छुट्टी लेकर आने-जाने में असुविधा को ध्यान में रखते हुए भी, हम हजारों किलोमीटर से घर लौट कर आते हैं । चाहे छठ का पर्व हो, होली का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, घर में शादी-विवाह हो, तो हम घर पर पहुंच जाते हैं । ये महापर्व हैं, लेकिन उस समय हम नहीं पहुंच पाते हैं । इसमें कहीं न कहीं अपने अंदर का जो भाव है, इस राष्ट्र के प्रति और अच्छी सरकार चुनने के प्रति जो श्रद्धा है, उसकी कुछ लोगों में कमी दिखती है । हमें लगता है कि अनिवार्य मतदान कानून बना कर ही उसको पालन कराने में सफल हो सकते हैं ।

महानगरों में भी यह देखने में आता है कि काफी संख्या में नौकरशाह मतदान के दिन मिले सार्वजनिक अवकाश का उपयोग मतदान करने के बजाय सैर-सपाटों के लिए करते हैं । इन सबको देख कर भी ई-वोटिंग का प्रावधान करने के लिए चुनाव आयोग ने जो तर्क दिए हैं, वे काफी हद तक सही हैं । इसके होने से कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह कर मतदान कर सकता है । इस कारण मतदान के प्रतिशत में भी गुणात्मक सुधार होगा और अनिवार्य मतदान को प्रभावी और लोकतांत्रिक तरीके से लागू करने में बल मिलेगा ।

भारत के साथ-साथ दुनिया के अन्य विकसित देशों में भी अनिवार्य मतदान पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । दुनिया के जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में अनिवार्य मतदान पर चर्चा की जा रही है । इसके अलावा वैचारिक विश्लेषक भी अनिवार्य मतदान के बारे में विश्लेषण व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अनिवार्य मतदान जरूरी है ।

महोदया, ऐसे देश का हम जनसंख्या के आधार पर उनसे तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी दुनिया में एक अलग पहचान है । मैं चाहता हूं कि भारत का नेतृत्व जिस तरह से दुनिया में अलग-अलग अपने काम के बल पर छाप और प्रभाव छोड़ रहा है, अनिवार्य मतदान को कानूनी अमलजामा पहनाया जाए ताकि दुनिया में इसका प्रभाव जाए । दुनिया के सभी मतदाता अपने मतदान केन्द्रों पर जाकर अपने-अपने देश में जब भी चुनाव हो, मतदान कर सके, इसकी भी नींव भारत के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों में जाए ।

मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं । भारत जैसे देश को कई कुरीतियों का सामना करना पड़ता है, उसे भी दूर करने में मदद मिल सकती है । उस पर अंकुश लगाने का काम भी हो सकता है । हम आपसे आग्रह करते हैं कि अन्य देशों में ई-वोटिंग और अनिवार्य मतदान के बारे में वहां की सरकार अपना कानून बना रही है, हमें भी यहां कानून बनाना चाहिए । देश में चुनावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश भर में प्रचार-प्रसार किया जाता है । जिससे चुनाव में काफी खर्च भी होता है । देश में 1952 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए, चुनाव खर्चे में बढ़ोतरी लगातार हो रही है । अगर आप 1952 में खर्च देखें तो वह काफी कम था लेकिन उसके बाद लगातार खर्च बढ़ता गया है । खर्च बढ़ने से हमें लगता है कि इस पैसे का हम दूसरे कार्यों में सदुपयोग कर सकते थे । देश के विकास में सहयोग करने की बजाय हमें इस पर खर्च करना पड़ रहा है । उस समय मात्र दस करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे । अगर आज देखें तो हजारों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं । हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च हो रहा है । राज्यों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है । मैं प्रति वर्ष का आंकड़ा नहीं देना चाहता हूं, इसमें लगातार बढ़ोतरी होती आई है । 1952 से 1962 के दौरान खर्च में कुछ कमी हुई

है । 1971 में 11,61,000 लेकिन 1980 में यह बढ़ कर 54 करोड़ रुपये हो गया । 1989 में 154 करोड़ हो गया, 1996 में 597 करोड़ खर्च हो गया, 1999 में 947 करोड़ हो गया और 2009 में 1483 खर्च हो गया । मेरे कहने का मतलब है कि चुनाव खर्च बढ़ रहा है । प्रचार के लिए सरकार अलग-अलग तरीके अपना रही है । स्कूल में दीवारों पर स्लोगन लिख कर, प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से, जागरूकता के लिए रैलियां निकाल कर, प्रभातफेरी निकाली जाती है, लेकिन उसके बाद भी मतदान का प्रतिशत बढ़ने में अडंगा बना हुआ है । इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि सदन इसे कानूनी अमलीजामा पहनाए, जिससे कि हम अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर जा सकें । सरकार भी चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, मतदान केन्द्रों पर करती भी है । आप इन सभी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो सरकार को उनकी सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए, जिन मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया है उनके नामों की सूची बननी चाहिए । मेरा कहना है कि प्रथम दृष्टया एक ऐसी सूची प्रकाशित होनी चाहिए । यह जिला वाइज प्रकाशित हो । हो सकता है कि लाख दो लाख का नाम हो, पार्ट वाइज प्रकाशित करना पड़े, एक सूची बने कि इन लोगों ने मतदान नहीं किया है । एक मैसेज जाएगा कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता होते हुए भी शिरकत नहीं की है, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की ।

इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की । जैसा मैंने अभी कहा कि अभी जो सरकार ने किया है, इसे व्यापक करना है, इसे चिह्नित करना है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऐसे कितने मतदाता हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं या ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं, जिनको गर्भवती होने के कारण या दिव्यांग भाई-बहनों को आने-जाने में कठिनाई है, उनको कैसे पहुंचाया जाए । इससे मतदाताओं की भी सुविधा बढ़ेगी । सरकार को एक तरह से व्यय करना पड़ रहा है । प्रचार, प्रसार में, अलग तरीके से हजारों करोड़ करना पड़ रहा है, वह बचेगा और उनको मतदान करने में सुविधा बढ़ेगी । दो चीजें इसी खर्च में हो जाएंगी, एक- जागरूकता आएगी और लोगों लगेगा कि सरकार बनाने में उनकी सहभागिता है ।

अब हम सरकार अच्छी तरह से चला रहे हैं, देश के जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं । इससे विकास नीचे तक जा रहा है, लेकिन आज यह चिंता का विषय नहीं है कि 33 परसेंट लोग आज भी अनभिज्ञ हैं । उनको तो नहीं लग रहा है उन्होंने सरकार बनाने में योगदान किया है । उनका तो सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं रहा । उन्होंने अपने भाव को जोड़ने का कोई काम नहीं किया । मैं नहीं कहता कि आप किसे वोट दें । चुनाव आयोग ने वर्ष 2013 में 'नोटा' का कानून बना दिया, प्रावधान भी कर दिया । इसके माध्यम से लोग 'नोटा' पर वोट देने का काम कर रहे हैं । लोक सभा के किसी भी क्षेत्र में देखिए, 10,000-20,000 ज्यादा लोगों ने 'नोटा' पर वोट डाले हैं ।

माननीय सभापति : सीग्रीवाल जी, आप पहले भी बोल चुके हैं इसलिए थोड़ा शार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाकी भी मैम्बर्स बैठे हैं । इस पर पहले डिसकशन हो चुका है ।

श्री जनार्दन सीग्रीवाल: माननीय सभापति जी, मैंने तो यह कहा है, सदन में चर्चा के माध्यम से ही कानून बनाते हैं ।

माननीय सभापति: सीग्रीवाल जी, सहभागिता बाकी सब की भी हो जाए । आपको दोबारा भी बोलने का समय मिलेगा ।

श्री जनार्दन सीग्रीवाल: यह ऐसा बिल है, पर्व तो पर्व यह महापर्व है, अन्य बिल पर कानून बनाकर हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस पर बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए ।

यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाने का भी मौका मिला और मेरा लग भी गया । यह तो मेरे भाग्य की बात हो सकती है । हम सब प्रयास करते हैं लेकिन लग नहीं पाता है, लेकिन मेरा लग गया ।

मैं आपके माध्यम से पुन: माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि दल से ऊपर उठकर व्यवस्था की बात करें । यह इस देश के लिए है, व्यवस्था की बात सिर्फ अंदर के लिए नहीं है । यह देश के लिए व्यवस्था का विषय है, इसमें कोई दल आड़े न आए, कोई दल या जाति आड़े न आए । हमें यह सुनिश्चित करना है

कि कैसे सब चीजों से ऊपर उठकर कैसे अनिवार्य मतदान के माध्यम से लोगों के लिए प्रयास करें । इसीलिए मैं बार-बार आग्रह करता हूं कि अनिवार्य मतदान को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए ।

मैं आपके माध्यम से पुन: देश के मतदाताओं को यहां से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता न हो, लेकिन आपके अंदर जागरूकता हो, आपके अंदर जागरूक भाव आ जाए कि मुझे भी मतदान केन्द्र पर जाना है, मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करना है । इसकी अनिवार्यता है, यह आवश्यक है । ऐसे बिल पर हम चर्चा कर सकें, जितना विस्तारित काम कर सकें, आवश्यक है ।

मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अनिवार्य मतदान को कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम करे । मैं पुन: अपनी बात कहूंगा । धन्यवाद ।

श्री अजय मिश्र टेनी कुमार (खीरी): धन्यवाद माननीय सभापति महोदया, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी द्वारा अनिर्वाय मतदान विधयेक, 2019 प्रस्तुत किया गया है और आज इस पर चर्चा हो रही है । मैं समझता हूं कि हमारा देश सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से बहुत प्राचीन और समृद्ध देश है । 1947 की आजादी से पहले हमारे देश में लोकतंत्र की भावना रही है, इसलिए हम लोगों ने आजादी के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया । लोकतंत्र में सभी लोग सहभागिता कर सकें, इसके लिए मतदान का अधिकार इस देश के प्रत्येक उस नागरिक को है, जिसमें सोचने-समझने की क्षमता हो । इसलिए हमने मतदान के लिए एक उम्र रखी है । उन सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग करके एक ऐसी सरकार का चुनाव करना होता है या ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना होता है जिस पर उनका विश्वास और भरोसा होता है । लेकिन, लोकतंत्र का सबसे मूल तत्व है, वह स्वप्रेरणा है । अपराध के कानून बनाए जाएं, व्यवस्था के लिए कानून बनाए जाएं, यह बात तो समझ में आती है । लेकिन, ऐसी किसी चीज के लिए जिसमें हम लोगों को यह हक हो कि हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, देंगे या नहीं देंगे, उस पर कानून बनाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । जो अनिर्वाय कानून की बात है ... (व्यवधान) मैं अपने विचार को रख रहा हूं । हमारे देश ने जिस तरह का लोकतंत्र अपनाया है, उसमें स्वप्रेरणा से स्वयं ही लोग उसको करने लगें,

इसकी संभावनाएं हैं । जैसे अभी जनार्दन जी ने अपने भाषण में कहा कि लगातार वोट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है । अभी जो चुनाव हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने मतदान किया और इसका सीध-सीधा यह कारण रहा कि जहां लोग शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, वहीं उनको एक ऐसे राजनैतिक दल, राजनेता अथवा जन प्रतिनिधि के रूप में विकल्प मिला है, जिससे उनको प्रेरित किया और तभी वे मतदान स्थल तक जाते हैं । जैसे अभी आपने बताया कि यह देश 125 करोड़ लोगों का देश है और हमारे यहां बहुत सारे वर्ग हैं । अभी हमारे यहां बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहां 20 कि.मी. तक न तो रेल के संसाधन हैं और न ही बस के । शैक्षिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं । मतदान के विषय में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कोई छोटे चुनाव जैसे प्रधान के चुनाव या डेलिगेट्स के चुनाव होते हैं, उनमें बहुत धन और दूसरे तरीके से मतदान को प्रभावित करने का काम प्रभावशाली लोग करते हैं । ऐसे में मतदान को अनिवार्य बनाने से जहां एक तरफ अराजकता के माहौल को बल मिलेगा, वहीं हम लोग यह भी देखेंगे कि ग्राम प्रधान या डेलिगेट्स के चुनाव में जो वोटर्स होते हैं, उनको धन के माध्यम से प्रभावित करेंगे । जब अनिवार्य मतदान का प्रावधान होगा तो ये प्रतियोगिता और बढ़ेगी और उसमें लोग कुल वोट का कम से कम आधा वोट अपने पक्ष में करना होगा । मैं समझता हूं कि मतदान करना अच्छी बात है । प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश के संविधान और कानून ने बिना भेदभाव के, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, पढ़ा-लिखा, बिना पढ़ा-लिखा सभी को समान मतदान का अधिकार दिया है ताकि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और देश को कैसे आगे ले जाना है, उसमें अपना योगदान करें । आपने अभी बहुत सारे उदाहरण दिये हैं, जिसमें कई देशों के नाम भी लिए हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात होती है, तब हमारे देश को हमेशा एक स्वस्थ लोकतंत्र की उपमा दी जाती है ।

पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि पूरी दुनिया में हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देश हैं । जब अपने देश में हम देखते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है कई लोग बिना आधार के सारी बातों को बोलते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसे समय में मतदान को अनिवार्य करना संभव नहीं है । जैसे-जैसे हम शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से ...(व्यवधान) । हम आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों का मतदान के प्रति आकर्षण अपने आप बढ़ता जाएगा, रुचि बढ़ती जाएगी और लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से स्वयं ही वह मतदान स्थल तक जाएंगे । ऐसा मेरा मानना है । अभी जैसे एक बात अभी आई कि गुजरात में एक बार हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किया,

लेकिन वह प्रयास केवल संविधान की बाध्यता के कारण ही वहां के राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया । इस बात को समझना चाहिए कि संविधान के संशोधन के बिना यह संभव है ही नहीं, और दूसरा यह कि जब संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है तो निश्चित रूप से इसके भी कुछ न कुछ मायने हैं । मतदान के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए, बल्कि स्वप्रेरित करके ही लोग मतदान करें, तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी । अभी जैसे एक देश एक चुनाव की बात हमारे देश में बहुत चर्चा में है और देश आजाद होने के बाद जब पहली बार चुनाव हुआ होगा, तो निश्चित रूप से पूरे देश में केंद्र सरकार के साथ-साथ सारे प्रदेशों की सरकारों का चुनाव भी हुआ होगा, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे प्रदेश की सरकारें गिरती गईं, लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, कभी दो दलों को मिलाकर सरकार बनती है । ऐसी स्थिति में एक बड़ी कठिनाई आ रही है । जबकि यह एक बहुत अच्छा विचार है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हों । उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, खर्च भी बचेगा और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होने से हम बचेंगे । उसके लिए जो इतना सारा पैसा खर्च होता है, वह पैसा बचेगा, संसाधन बचेंगे । लेकिन उसके बावजूद जो कठिनाइयां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, वे चुनौतियां ये हैं कि क्या जब एक बार सरकार चुनी जाती है तो 5 साल तक वही सरकार काम करे? इस समय जैसा कि हम कर्नाटक में देख रहे हैं । कर्नाटक में एक ऐसे राजनैतिक दल को सरकार बनाने का अवसर मिला, जिसके केवल 37 सदस्य थे और उन 37 सदस्यों वाले दल ने न केवल वहां पर सरकार बनाई, बल्कि एक साल से वे सरकार चला रहे हैं और जब उस सरकार के कुछ विधायकों ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, तब भी सरकार से हटने का नाम नहीं ले रहे । इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी स्थितियां बार-बार हमारे देश में आने की संभावनाएं हैं । ऐसी स्थिति में हम लोगों को यह देखना होगा कि हम एक ऐसी सरकार बनाएं, ऐसा संविधान संशोधन लाएं, जिसमें हम लोगों को एक देश और एक चुनाव की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिले । इस विषय पर हम लोगों को बात भी करनी चाहिए । मैं समझता हूं कि यह उचित अवसर है कि इस बात को हम कह सकते हैं कि हम अपने देश में क्या सुधार कर सकते हैं? जब एक बार चुनाव हो जाए तो 5 वर्ष में किसी चुनी हुई सरकार को पूरे 5 वर्ष तक आमतौर पर अवसर मिलता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी आएं, तब भी

उसको 5 साल तक सरकार चलाने का अवसर दिया जाए । अगर किसी कारणवश उस सरकार को हटना भी पड़ता है तो भले ही राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, लेकिन 5 वर्ष के अंदर चुनाव न हों और यह संविधान संशोधन से ही संभव है । दूसरी बात यह है कि जब हम लोग किसी पार्टी का चुनाव चिह्न लेकर चुनाव में गए और उसके बाद वह व्यक्ति, वह विधायक या सांसद पार्टी विरोधी गतिविधियां करता है तो उसको उस पार्टी से निकाल दिया जाता है और उसकी विधान सभा या लोक सभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है । क्या हम ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं कि जिस तरह से अभी कांग्रेस या जेडीएस ने आपस में मिलकर सरकार बनाई, कई बार यह होता है कि एक दल सरकार से समर्थन वापस लेकर दूसरे दल को दे देता है । उससे हॉर्स ट्रेडिंग भी बढ़ती है ।

हम यह प्रावधान कर दें कि एक बार जो गठबंधन बन गया, वह पांच साल तक नहीं हटेगा । अगर वह सरकार गिरती है तो जो दल दूसरे नम्बर पर है, उसे सरकार बनाने का अवसर दिया जाए और अगर कोई भी परिस्थिति नहीं बनती है तो पांच वर्ष तक चुनाव न हो । 1952 में हम एक साथ चुनाव करके चले थे, अगर हमें वह बात लानी है और आगे वह कायम रहे तो हमें कुछ संशोधन करने होंगे । यह जो विचार माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया है, वह निश्चित रूप से एक उत्तम विचार है, जिससे हमारे देश के संसाधन भी बचेंगे, देश आगे बढ़ेगा । इसकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी और लोगों में एक स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति समर्पण का भाव भी आएगा । कई बार हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो देखने को मिलता है और जैसा अभी माननीय सदस्य 'नोटा' की बात कह रहे थे । अभी राजीव प्रताप रूडी जी ने बताया कि गोपालगंज में 'नोटा' वोट्स की संख्या 45 हजार हो गई थी । ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसी स्थिति में होता है, जब लोगों को लगता है कि इनमें से कोई भी आदमी चुनने लायक नहीं है । मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे लोग राजनीति में आएं, जिनका समाज में सम्मान हो, समाज जिनको स्वीकार करता हो, जिन पर समाज को भरोसा हो कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं और जिन कारणों से चुन रहे हैं, उन पर यह खरा उतरने वाला है । हमारा वोट व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे वोट की जो कीमत और सार्थकता है, वह हमें मिलेगी तो निश्चित रूप से वोट का प्रतिशत बढ़ेगा । इसकी

संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं । इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे सभी व्यक्ति ...(व्यवधान) मैं अपनी मुख्य बातें कहकर दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

सभापति महोदया, 130 करोड़ लोगों का हमारा देश है । हमारे देश में जिस तरह से चुनाव होते हैं, 30 राज्य हैं, केन्द्र सरकार के लिए चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और कोऑपरेटिव्स के चुनाव होते हैं । हम कह सकते हैं कि हमारे यहां चुनाव की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है । जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चुनावों का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति के अपने वोट का भी बहुत महत्व है । ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इन दो विषयों पर हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए । आपने अनिवार्य मतदान की बात की है । मैं यह मानता हूं कि मतदान को इतना सरल करना चाहिए, जिससे लोग स्वयं प्रेरित होकर मतदान स्थल पर जाएं, लेकिन इसके लिए कोई अनिवार्य कानून नहीं बनाना चाहिए ।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पांच वर्ष में एक ही बार चुनाव हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । त्रिस्तरीय पंचायत में जिस तरह से ब्लॉक पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है और डेलीगेट्स का चुनाव होता है । हम देखते हैं कि जैसे ही प्रदेश में सरकार बदलती है, डेलीगेट्स को वे लोग हाईजैक कर लेते हैं और तुरंत ही उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर, उसे हटाने का काम करते हैं । प्रदेश में जिस दल की सरकार होती है, उसी दल से वहां अध्यक्ष चुन लिया जाता है । उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है कि त्रिस्तरीय पंचायत में जब एक बार चुनाव हो जाए, जिस कार्यकाल के लिए चुनाव हो, उसके बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए ।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में सारे चुनाव एक साथ हों और पांच साल में एक बार हों, यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा और इससे देश आगे बढ़ेगा । जिस तरह हम 'न्यू इंडिया' कांसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,

उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए हम लोगों को संविधान में संशोधन करना चाहिए । जिस प्रकार राजनैतिक दलों के हमारे प्रत्याशी अलग-अलग होते हैं, उसी प्रकार से राजनैतिक दलों के लिए भी ऐसी आचार संहिता बनाई जाए, जिसके कारण पांच वर्ष में वे अविश्वास प्रस्ताव न लाएं, सरकार बदली न जाए और जो सरकार चुनी जाए, उसे पांच वर्ष काम करने का मौका दिया जाए । अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन के द्वारा सरकारें चलाई जाएं, लेकिन पांच वर्ष में चुनाव एक ही बार हो । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनिवार्य मतदान के लिए कानून लाना आवश्यक नहीं है, हमें देश के लोगों को शैक्षिक, सामाजिक रूप से जागृत करना चाहिए । जागरुकता के अभियान बढ़े हैं । अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और हम मतदान सरलता से कर सकें, इसके लिए प्रयास करने चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : निशिकांत दुबे जी, आपको बोलने के लिए 15 मिनट का समय है ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है

अजस्य गृहनतो जन्मनिरिहस्य हतद्वस:

स्वप्तो जागरूकस्यो यथार्थन वेद कस्त: ।

जो जन्म नहीं लेते हुए भी जन्म लेता है और सब कुछ जानते हुए भी अनजाना होता है, उसके लिए वेद और पुरान की बहुत आवश्यकता नहीं होती है । यह जो चुनाव है, चुनाव में वोट करना अनिवार्य है । जब आप चुनाव में वोट करते हैं तो आप अपने लिए सही जनप्रतिनिधि चुनते हैं । इसी के माध्यम से आप अपनी बातों को, चाहे आप स्थानीय स्तर पर पंच, पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, नगरपालिका, विधान सभा या लोक सभा में पहुंचाते हैं, वे सारे जनप्रतिनिधि मिल कर, जिनका जहां-जहां काम होता है या योगदान होता है, जहां के वे सदस्य बनते हैं, वे आपकी बातों से समस्या का समाधान करते हैं, यह

सारी पब्लिक जानती है । यह गरीब भी जानते हैं और अमीर भी जानते हैं । इसके बावजूद भी जनता वोट देने के लिए नहीं जाती है या कम जाती है । उसके लिए हमारे बड़े भाई, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब दूसरी बार यह बिल लेकर इस संसद में आए हैं । वह इसे 16वीं लोक सभा में भी लेकर आए थे । इस पर भी बहुत लम्बा-चौड़ा डिसकशन हुआ । 17वीं लोक सभा में, इनका संयोग था, भाग्य था कि प्राइवेट मैम्बर बिल इन्हीं के बिल से शुरू हुआ । मैंने दोनों के भाषण को सुना है । सिग्रीवाल जी चाहते हैं कि कम्पलसरी वोटिंग हो और अजय जी बोल रहे थे कि नहीं हो, तो मुझे दोनों बातों में सच्चाई नजर आती है ।

माननीय सभापति महोदया, चूंकि आप अच्छी वकील हैं तो मुझे लगता है कि इसका फैसला चेयर करे या सदन करे तो ज्यादा बेहतर होगा । हम सारे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं । पी.पी. चौधरी साहब बैठे हुए हैं, यह सीनियर वकील हैं । मुझे लगता है कि वर्तमान लोक सभा में जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनमें दो-तीन लोग बहुत सीनियर हैं, उनमें रूड़ी साहब, महताब साहब और प्रह्लाद सिंह पटेल साहब हैं । संयोग ऐसा है कि ये लोग छः-सात बार चुन कर संसद में आए हैं । महताब साहब सर्वश्रेष्ठ माननीय सांसद हैं । मैं यह कह रहा हूं कि आप कम्पलसरी वोटिंग कैसे करें । दुनिया में 28 ऐसे देश हैं, जहां कि कम्पलसरी वोटिंग है और कम्पलसरी वोटिंग में भी केवल आस्ट्रेलिया ही एक उदाहरण है । आप कह सकते हैं कि आस्ट्रेलिया में कम्पलसरी वोटिंग है । आस्ट्रेलिया में कम्पलसरी वोटिंग वर्ष 1917-18 के बाद लागू हुई था, जो अभी तक चालू है । उसमें जितनी समस्याएं हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है । इसके अलावा जिस भी बड़े देश ने इसको लागू करने की कोशिश की, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत रीजेन्टमेंट, समस्या और लोगों को परेशानी हुई । इटली जैसे देश में वर्ष 1993 में इसको एबॉलिश कर दिया गया कि कम्पलसरी वोटिंग नहीं होगी । उसी तरह से नीदरलैंड ने इसको वर्ष 1967 में एबॉलिश कर दिया । जब उन देशों ने इसे एबॉलिश किया तो उसके पीछे कारण क्या था और हम किस समस्या से जूझ रहे हैं । नोटा इस देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है । आप लोगों को वोट डालने के लिए भेजते हैं और उसके बाद एक माहौल बनता है कि हमको वोट नहीं देना है । यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है । सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में

यह तय कर दिया । हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कानून बनाने का अधिकार इस संसद को है, लेकिन कानून कौन बना रहा है और क्या बना रहा है, जिसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): मैंने भी इस विषय को एक बार उठाया था और मैंने कहा था कि कानून बनाने का अधिकार किसका है । उस दिन भी यह विषय आया था । आप तो देश के जाने-माने वकीलों में से एक हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस समय आसन पर बैठी हैं । हम इस बारे में जरूर स्पष्टीकरण चाहेंगे कि बार-बार देश में कानून बनाने का अधिकार, जैसे माननीय सांसद निशिकांत जी ने विषय उठाया है कि कानून बनाने का अधिकार संविधान में किसके पास है और कब तक इस देश में कानून बनाने का विशेष अधिकार पार्लियामेंट को है । इस पर यदि नियमन हो तो देश के इतिहास में बड़ा फैसला हो सकेगा ।

माननीय सभापति : वह विषय ले लेंगे, अभी निशिकांत जी को उनकी बात खत्म करने देते हैं ।

डॉ. निशिकांत दुबे : आप यह समझें कि नोटा का जजमेंट देते हुए उस समय के चीफ जस्टिस श्री सतशिवम ने कहा कि "A voter may refrain from voting at an election for several reasons including the reason that he does not consider any of the candidates in the field worthy of his vote. One of the ways of such expression may be to abstain from voting, which is not an ideal option for a conscientious and responsible citizen. Thus, the only way by which it can be made effectual is by providing a button NOTA in the EVM." इसके बाद वे इतने पर ही नहीं रुके । Besides, the Supreme Court also highlighted the need for higher voters' participation in India. I quote: "eventually, voters' participation explains the strength of the democracy, lesser voters' participation is the rejection of commitment to democracy, slowly but definitely, whereas, larger participation is better

for democracy. The voters' participation in the election is indeed the participation in the democracy itself. Non-participation causes frustration and disinterest which is not a healthy sign of a growing democracy like India".अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट काट रहा है और हम इतने पागल हैं या यह संसद, उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया या इलेक्शन कमीशन में कोई बैठा हुआ है, आप यह समझिए एक तरफ यह कह रहा है कि नॉन पार्टीसिपेशन यदि वोटर का है, तो यह फ्रस्ट्रेशन है और यह हैल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जो 'नोटा' है, वह कौन-सा पार्टीसिपेशन है ।

HON. CHAIRPERSON: Exactly.

डॉ. निशिकांत दुबे : इस पार्लियामेंट को दो चीजों पर डिस्कशन करना चाहिए । यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के कानून आप नहीं ला सकते और जिस तरह से गुजरात में वर्ष 2009 का बिल लाया, हमारे प्रधान मंत्री जी इस बारे में बहुत सोचते हैं, एक अच्छा बिल लेकर आए । लेकिन जो जजमेंट आया, इन्होंने कहा कि गवर्नर ने उसे रोक दिया, लेकिन 5 नवम्बर,2014 को दोबारा बिल पास हुआ, लेकिन वर्ष 2015 में हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे फैसले में यह बात कही कि हम इनह्यूमन काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि किसी की बिजली काट दो, किसी का पानी काट दो, किसी ने कहा कि उसका राशन पानी बंद कर दो ।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं एक बात जानना चाहता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Mahtab ji, we are running short of time but you can just make one intervention.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I just want to ask a question, which, I think, our learned Member can explain. In 1951,

when the Representation of People's Act was being debated in this House, at that time, an amendment was moved by an hon. Member and the then, Law Minister Dr. Ambedkar said, "Voting is a right and by converting it into compulsory voting, you are making it a duty". So, there is a difference between right and duty. In the past, the Chief Minister of Gujarat was trying to make it a duty for municipal elections. Unless you make a change in the Constitution that this is not a right alone but it is also a duty, you cannot make it compulsory. It is a fundamental right. अगर आप इसे ड्यूटी बनाएंगे, तो कोर्ट की इंटरप्रेटेशन अलग किस्म की होगी । जब तक यह ड्यूटी नहीं होगी, कांस्टीट्यूशन में बदलाव नहीं आएगा, मैं आपसे यह राय जानना चाहता हूं?

डॉ. निशिकांत दुबे: महताब भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ।

मैं आपको बताऊँ कि वर्ष 1951 से पहले संविधान सभा में भी इसके ऊपर डिबेट हो चुकी थी । संविधान सभा के जो 299 सदस्य थे, उनमें से केवल एक सदस्य श्री अनन्त शयनम आयंगर चाहते थे कि कंपल्सरी वोटिंग हो जाए । वर्ष 1949 में 298 वर्सेस 1 से पूरी-की-पूरी संविधान सभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया । उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है, प्रजातंत्र के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए यह होना ही नहीं चाहिए । उसके बाद जब वर्ष 1951 में वह एक्ट बनने लगा, तो डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी यही बातें कही थीं । मैं भी व्यक्तिगत तौर पर यही बात समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट के लिए इससे ज्यादा जरूरी यह है, जिस बिल को श्री राजीव प्रताप रूडी जी लेकर आए हैं और जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत ही आग्रही हैं और इस विषय पर ऑल पार्टी मीटिंग कर चुके हैं । वे सभी पार्टियों से चाहते हैं कि एक साथ सारे चुनाव हों । यह सबसे बड़ा सवाल है ।

यदि आप वोट का पर्सेंटेज देखेंगे, तो पंचायत में मुखिया का जो चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, नगरपालिका का चुनाव होता है, नगर निगम का जो चुनाव होता है, उनमें जो वोटिंग पर्सेंटेज होती है, वह उन्हीं वोटर्स में 80-85 पर्सेंट होती है । आप आस्ट्रेलिया का उदाहरण दे रहे थे । वहाँ वोटिंग पर्सेंटेज 90 है । कंपल्सरी वोटिंग के बाद भी यह आस्ट्रेलिया में 90 पर्सेंट तक ही पहुँच पाया है । ऐसा नहीं है कि आस्ट्रेलिया में सौ पर्सेंट वोटिंग हो रही है ।

जैसा कि आप कह रहे थे, यदि इसे आधार के साथ जोड़ भी दें, तो मैं कहता हूँ कि मतदान बूथ पर जाकर वोट देने का जो तरीका है, क्योंकि हमारी जो सोसायटी है, सीग्रीवाल साहब और हम एक राज्य, एक ही परिवेश से आते हैं, वह एक फ्यूडल सोसायटी है ।

आपको पता है कि ईवीएम आने से पहले, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस से पहले लोग दलितों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों को बूथ तक जाने नहीं देते थे । जो लोग बैलेट की बात कर रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होगा, उनके लिए एक बड़ी बात यह है कि बैलेट से चुनाव करके फिर से बूथ कैपचरिंग की स्थिति में जा सकते हैं । बिहार का उदाहरण हमने देखा है । वर्ष 1990 से 2005 के दौरान, मान लीजिए यदि टी.एन. शेषण नहीं होते, यदि श्री राव नहीं होते, तो बिहार में कभी सरकार नहीं बदलती । बैलेट का जो सवाल है, आप जो ई-बैलेट की बात करते हैं, उसमें दिक्कत यह होगी कि मान लीजिए कि किसी फोन पर ओटीपी भेजा जा रहा है, तो वह ओटीपी फोन वाला कहीं किसी के कब्जे में तो नहीं है ।

माननीय सभापति: निशिकांत जी, we will discuss this. एनआरआई आदि जो देश से बाहर रहते हैं, आप उनके बारे में सोचकर यह बात अड्रेस कीजिए ।

डॉ. निशिकांत दुबे : एनआरआई को वोटिंग राइट्स देने के लिए सरकार सीरियस है । मैं समझता हूँ कि वह अच्छी बात है ।

माननीय सभापति: क्या ई-बैलेट पॉसिबल है?

डॉ. निशिकांत दुबे: मैं यह कह रहा हूँ कि सेना के जो लोग हैं या जो लोग वोट कराने जाते हैं, जैसे जो लोग बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं या उनके तहत

अन्य लोग होते हैं, हमने उनको वोट करने का अधिकार दिया हुआ है । वे पहले से ही वोट कर रहे हैं । मान लीजिए कि बैलेट से पोल आता है, तो जो सेना के जवान बाहर हैं, उसी तरह से जो एनआरआई वोटर्स हैं, यदि हम उनको अलाऊ करेंगे, तो हम उनको पहले से ही बैलेट भेज देंगे ।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह तरीका ई-प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता है क्योंकि जब ओटीपी आएगा, तो पता नहीं है कि किसका फोन है, यह किसके पास गया, उसको किसी ने कब्जे में तो नहीं रखा हुआ है, इसलिए मतदान केन्द्र की जो प्रक्रिया है, उसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है ।

श्री पी. पी. चौधरी : एनआरआई वगैरह के लिए और अभी ई-वोटिंग का जो सिस्टम है, उसको एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल चल रहा है । इसके बारे में गंभीरता से एक कमेटी बनी है । लॉ मिनिस्ट्री सोच रही है कि उन लोगों को कैसे इनक्लूड किया जाए, ताकि उनको ई-बैलेट पेपर भेजे जाएं और वे वापस पोस्टल बैलेट भेजें ।

डॉ. निशिकांत दुबे : मैंने वही तो कहा कि जिस तरह से आप आर्मी वालों को यह भेज रहे हैं, उसी तरह से एनआरआई को भी भेजकर यह काम कर सकते हैं । लेकिन, मैं जिस सवाल पर था, इस कमपल्सरी वोटिंग के पहले, मैं सिग्रीवाल साहब से भी आग्रह करूँगा कि जब आप अपना भाषण कनक्लूड करने लगेंगे, तो 'नोटा' पर एक बड़ी चर्चा इस पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए ।

दूसरी चर्चा जो होनी चाहिए, माननीय प्रधान मंत्री जी जो चाहते हैं, यदि एक साथ चुनाव होंगे, तो इतने सारे कैंडिडेट्स होंगे- पंचायत, मोहल्ले आदि से, वे सभी अपने-अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाएंगे । जब वे उनको बूथ तक ले जाएंगे, तो आप जो चाहते हैं कि 80 पर्सेंट वोटिंग हो, क्योंकि 67 पर्सेंट वोटिंग तक तो हम पहुँच गये हैं, इसके लिए मैं अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन करता हूँ । सभी कार्यकर्ता वोटर्स की पर्ची लेकर घर

तक गये, उन्होंने वोटर्स को घर से निकाला । मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

मैं राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने मतदाता जागरण के माध्यम से चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने का फैसला नहीं किया लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कैसे करें और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वह और बड़ा काम करती है । उसने पन्ना प्रमुख बनाया हुआ है और पन्ना प्रमुख का काम यह होता है कि एक पन्ना उसके पास होता है । उस पन्ने में जितने वोटर हैं, वो बूथ तक कैसे पहुंचें । मैं आपको बताता हूं कि इसका कानूनी पक्ष नहीं है । यह राजनीतिक दलों के बीच में चर्चा करने का सवाल है, हम सारे सांसदों के बीच में चर्चा करने का सवाल है । महिला रिजर्वेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि कई एक जैसे हमारी पार्टी और कई अन्य पार्टियां महिला रिजर्वेशन के पक्ष में हैं । लेकिन महिला रिजर्वेशन का कई पार्टियां विरोध भी करती हैं । उसी में से एक रास्ता यह हो सकता है कि महिलाओं को हम किस तरीके से अपने ही टिकट में से 33 परसेंट, 35 परसेंट, 40 परसेंट रिजर्वेशन दे सकते हैं । महताब साहब की पार्टी बीजू जनता दल ने इसकी शुरुआत की है । 17वीं लोक सभा चुनाव परिणाम में यह भी देखने का सवाल है कि वे महिलाएं, जो बीजू जनता दल के टिकट पर जीतकर आई हैं, वे कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, वे मुद्दे को कितना उठा रही हैं, या हमने उनको कहीं एक आर्टिफिशियल महिला के तौर पर तो नहीं ला दिया? यह देखने का सवाल है ।

मैं इनके मुख्य मंत्री और इनकी पार्टी का स्वागत करता हूं, लेकिन जब 17वीं लोक सभा समाप्त होगी तो इस पर भी एसेसमेंट होगा । सवाल यह है कि ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं रिजर्वेशन से नहीं आई हूं । मैं दो पुरुषों को हराकर आई हूं । ठीक है, मजाक की बात अलग है ।

डॉ. निशिकांत दुबे: मैं कनक्लूड करूंगा, क्योंकि श्री जगदम्बिका पाल साहब को बोलना है । संयोग से यहां श्री प्रह्लाद जोशी साहब हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स

मिनिस्टर भी हैं, चेयर भी है, सारा सदन भी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बार इस पर चर्चा होनी चाहिए । चर्चा यह होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का रोल क्या है, यह पूरा डिफाइन होना चाहिए । कांस्टीट्यूटशन का आर्टिकल-368 कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और एनजेएसी बिल और नोटा बिल के बाद हम देख रहे हैं कि ये डिस्टॉर्शन है डेमोक्रेसी का । डिस्टॉर्शन डेमोक्रेसी कहती है - नोटा के ऊपर यदि संसद ने चर्चा नहीं की, यदि उस कानून को नहीं बदला गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं । हम लोग ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका डेमोक्रेसी पर कोई विश्वास नहीं है । मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन यहां पार्टी लड़ती है, पार्टी की आइडियोलॉजी लड़ती है, पार्टी का मेनिफेस्टो लड़ता है । व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र होता है । हम प्रधान मंत्री चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं । ऐसे तत्व धीरे-धीरे इस नोटा के बाद बढ़ते जा रहे हैं और यदि ये बढ़ते गए तो इस डेमोक्रेसी का क्या होगा? यह डेमोक्रेसी ही है जिसके कारण एक चाय वाला इस देश का प्रधान मंत्री है । यह डेमोक्रेसी ही है जिसके कारण चप्पल पहनने वाला यहां का एमपी है, मंत्री है । यदि प्रताप सारंगी जी को देख लेंगे तो लोग समझेंगे कि साइकिल चलाते हुए भी मंत्री बना जा सकता है । इस डेमोक्रेसी ने देश में आईएएस दिया, आईपीएस दिया । इस रिजर्वेशन ने देश को आगे बढ़ाया, कास्ट सिस्टम को खत्म किया । यदि डेमोक्रेसी के खिलाफ माहौल हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बढ़ रहा है, तो इस सदन में यह चर्चा करने का बिंदु है । इसीलिए मेरा श्री जनार्दन सीग्रीवाल साहब से, इस सदन से और सभी लोगों से आग्रह है कि जो डा.बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा, जो तारकुंडे साहब ने कहा । मैं तारकुंडे साहब को कोट करूंगा और अपने भाषण को समाप्त करूंगा । एक तारकुंडे कमेटी बनी थी । जस्टिस तारकुंडे बहुत बड़े विद्वान और ईमानदार व्यक्ति थे । उन्होंने कहा था कि-

> "We have seriously considered the desirability of making it compulsory for voters to cast their votes in these elections. It appears to us that compulsory voting may be resented by the voters and may on balance prove counter-productive. It is

desirable that compliance with the duty to cast one's vote should be brought about by persuasion and political education rather than compulsion. Moreover, the implementation of a law of compulsory voting is likely to be very difficult and may lead to abuse."

उन्होंने इतनी बड़ी रिकमेंडेशन दी । हम तारकुंडे साहब की बात से सहमत हैं । इस पार्लियामेंट से, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से, मंत्री जी से और सभी से आग्रह करते हैं कि आप नोटा के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, एनजेएसी के ऊपर और हम पार्लियामेंट में हैं, हम कानून बनाते हैं, हम सुप्रीम हैं कि नहीं हैं, इसके ऊपर यदि चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा होगी और हर तरह से अच्छा कानून हम बना पाएंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । Which is the nodal Ministry dealing with this Bill?

HON. CHAIRPERSON : The Ministry of Law and Justice. The hon. Minister is here and the noting is also being taken care of.

श्री भर्तृहरि महताब : सर, कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी होती है और यह प्राइवेट मेम्बर बिल है । There should be someone.

HON. CHAIRPERSON: Sir, I can show you the authorization letter of Shri Ravi Shankar Prasad and he has authorised the hon. Minister. He is in the Rajya Sabha right now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, but who is there?

HON. CHAIRPERSON: The Minister of Parliamentary Affairs is there.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । आपने देखा होगा कि निशिकांत जी बोल रहे थे तो अपने को महताब जी भी नहीं रोक पाए और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहा । रूडी साहब और अन्य सदस्य भी बोले हैं । यह इस बात का संकेत करता है कि हमारे जनार्दन सीग्रीवाल जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है कि देश के सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए एक विधेयक यह सदन स्वीकार करे । मैं समझता हूं कि सभी इसका समर्थन करते हैं और मैं भी इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मुझे लगता है कि अपनी बात में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि व्यावहारिक रूप से ऐसा कैसे हो सकता है । हमारा यह सदन इस बात के लिए भी चिंतित है कि किन्हीं परिस्थितियों और कारणों से जो लोग देश से बाहर चले गए हैं और एनआरआईज़ की श्रेणी में हैं, उन्हें भी मतदान करने का अधिकार देना चाहिए । इससे साफ है कि इस देश की जनता और मतदाताओं के साथ-साथ हमारी चुनी हुई सरकार की भी प्रबल इच्छा है कि देश में सभी मतदान करें और देश के मूल निवासी अगर किन्हीं कारणों से दुनिया के किसी देश में हैं और एनआरआई हैं तो उन्हें भी मतदान का अधिकार हो । यह साबित करता है कि हम एक अनिवार्य मतदान चाहते हैं ताकि चुनाव में सर्वाधिक भागीदारी हो ।

ड्यूटी और राइट की बात आई है । यह सही बात है कि अगर आप राइट टू वोट की बात करते हैं तो यह अधिकार भारत के संविधान ने दिया है । Right to vote is provided by the Constitution of India and by the Representation of the People Act, 1951 subject to certain disqualifications. वह सजायाफ्ता न हो, दिवालिया न हो, कुछ ऐसे उपबन्ध दिए गए हैं, जिनको छोड़कर देश के किसी भी नागरिक को संविधान और Representation of the People Act, 1951 के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वह मतदान कर सकता है । महोदया, आप स्वयं बहुत बड़ी विद्वान हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील

हैं । Article 326 guarantees the right to vote to every citizen above the age of 18 years. हमारे संविधान का अनुच्छेद 326 इस बात की गारण्टी देता है कि कोई व्यक्ति बालिग और 18 वर्ष का हो गया है तो उसको मताधिकार का अधिकार है । Section 62 of the Representation of the People Act states that every person who is in the electoral roll of that constituency will be entitled to vote. एक व्यक्ति भी मताधिकार से वंचित न रह जाए, उसको कितना सैफगार्ड भारत के संविधान ने दिया है । फिर चाहे वह आर्टिकल 326 हो या Representation of the People Act, 1951 के सैक्शन 62 में हो । इस तरह से एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अपनी चुनी हुई सरकार में उसकी भी सहभागिता हो, उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसका भी अधिकार हो, इसके लिए हमने संविधान और Representation of the People Act, 1951 के माध्यम से अधिकार दिए हैं । कम्प्लसरी वोटिंग के माध्यम से हम उसको कितना अधिकार दे रहे हैं । बात नोटा की हो रही थी । नोटा पर आज एक फैसला हुआ, उस पर बिलकुल एक बहस होनी चाहिए ।

नोटा आज अगर कुछ देशों में लागू है, चाहे वह फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, ग्रीस हो, चिली हो, इन देशों में अनिवार्य मतदान है । यह विडंबना कल कहीं वाकई में खड़ी न हो जाए कि नोटा का एक प्रावधान बन जाए और उस नोटा के प्रावधान से ऐसा हो जाए कि वह हार-जीत का कारण बन जाए ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, क्या सदन की सहमति है कि आज की कार्यवाही को यहीं पर समाप्त किया जाए? माननीय जगदम्बिका पाल जी, अगली बार इस चर्चा को जारी रखेंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां ।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

18.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on 15th July, 2019/ 24 Ashadha, 1941 (saka)

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 256/17/19 .

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speaker was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.